कार्यालय अधिष्ठाता,
कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (म०प्र०)

क्र./अधि./उद्यानिकी विभाग/2025–26/1143

दिनांक : 03-7-25

"फल–बगीचा ठेका विज्ञप्ति"

फल बगीचों का ठेका लेने हेतु इच्छुक फल ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के उद्यानिकी विभाग, फल–बगीचा मे लगे अमरूद, आँवला, मोसंबी, कटहल, आम, नीबू, संतरा, करोंदा, बेल, बेर एवं सहजना आदि एवं शुष्क बागवानी प्रक्षेत्र सिरसौद फल बगीचों में लगे अमरूद, आँवला, बेर, बेल एवं सहजना आदि फलों का ठेका अलग–अलग देने हेतु निविदा प्रपत्र रूपये 100/रु. में दिनांक 11/07/2025 से कार्यालयीन दिवस में दिनांक 23/07/2025 दोपहर 12:00 बजे तक उद्यानिकी विभाग से प्राप्त कर 23/07/2025 दोपहर 02:00 बजे तक, भरकर लिफाफे में बंद करके उद्यानिकी विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करें। इच्छुक फल ठेकेदार फल बगीचा, उद्यानिकी विभाग, कृषि महाविद्यालय पर कार्यालयीन समय में अवलोकन रेस कोर्स रोड़ (मेला रोड़) पर एवं फल बगीचा, शुष्क बागवानी प्रक्षेत्र सिरसौद का अवलोकन (ग्राम– सिरसौंद, तहसील–मुरार, जिला– ग्वालियर) स्वयं कर सकते हैं। निविदा में भाग लेने हेतु रूपये 10000/– (दस हजार रूपये) फल–बगीचा उद्यानिकी विभाग, ग्वालियर एवं रूपये 5000/– शुष्क बागवानी प्रक्षेत्र, सिरसौद नगद सुरक्षा निधि के रूप में उद्यानिकी विभाग में निविदा जमा करते समय आवश्यक होगा।

विभागाध्यक्ष
उद्यानिकी विभागं

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय ग्वालियर

3/07/2025

उद्यानिकी विभाग, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर

फल–बाग, उद्यानिकी विभाग, ग्वालियर वर्ष 2025–26 हेतु ठेका–अनुबंध की शर्तें:–

1. फल–बाग की ठेका अवधि टेण्डर स्वीकृति होने की दिनांक से 30 जून, 2026 तक तथा अमरूद फलों के ठेके की अवधि माह 28 फरवरी 2026 तक रहेगी।
2. बोली/टेण्डर में भाग लेने से पूर्व टेण्डर–प्रपत्र की मूल्य राशि रू. 100/– जमा कर प्रपत्र प्राप्त करें तथा इसके अतिरिक्त नीलामी/बोली/टेण्डर की जमानत राशि रू. 10000/– नगद जमा कराना होगी।
3. बोली/टेण्डर में भाग लेने से पूर्व आधार कार्ड, फोटो परिचय पत्र की कॉपी जमा करनी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके।
4. नीलामी के बाद प्रथम एवं द्वितीय बोली वाले की जमानत राशि रोक कर शेष ठेकेदारों की जमानत राशि वापस कर दी जावेगी।
5. अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को होगा। साथ ही अधिकतम बोली हेतु नेगोशिएशन (बातचीत) सभी पार्टियों से अलग–अलग या एक साथ की जा सकेगी।
6. स्वीकृत टेण्डर की पूरी रकम ठेकेदार को 02 कार्य दिवस में जमा करनी होगी अथवा इस बीच कोई अवकाश आता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में जमा होगी। ऐसा न करने पर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेण्डर की राशि (प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर) पर क्रय करने का अवसर होगा समिति के अनुशंसा पर।
7. टेण्डर की अधिकतम राशि समय पर जमा न होने पर निविदाकर्ता की जमानत राशि वापस नहीं की जावेगी।
8. उचित कीमत न आने पर टेण्डर/नीलामी निरस्त की जा सकती है।
9. अमरूद, ऑवला, कटहल, आम, नीबू, संतरा, मौसंबी, करौंदा, बेल, बेर एवं सहजना के बगीचे का अवलोकन खरीददार स्वयं आकर कर सकते हैं।
10. अमरूद एवं अन्य फसल की तुड़ाई के समय श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
11. राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद (दोपहर 02 बजे तक) बैंक के नियमानुसार जमा करनी होगी।
12. ठेका स्वीकृत करने/न करने का अधिकार अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर को सुरक्षित है।
13. फल ठेके में फल–बाग के Block- D, Block-F, Block-G, Block-I, Block-I1 I 2, I 3, Block-K, एवं Block-C (केवल आम) सम्मिलित होगें।
14. फल ठेके में फल–बाग के जो Block (खण्ड) सम्मिलित नहीं होगें, ठेकेदार ना ही उसके फल तोड़ेगा और ना ही विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में कोई व्यवधान पैदा करेगा।
15. फलबाग के फल वृक्षों की चौकीदारी, रख–रखाव की पूर्ण जबावदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
16. प्राकृतिक प्रकोप (हवा, आंधी, तूफान, रोग एवं कीट) या अन्य किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जबावदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
17. फल–बाग के अंदर ठेकेदार साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगा और गंदगी नहीं करेगा, पशुओं/असमाजिक तत्वों को नहीं आने देगा। फल–बाग के अंदर ठेकेदार अनुशासन में रहेगा अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
18. ठेकेदार फल–बाग से लकड़ी नहीं काटेगा और फल वृक्षों को हानि नहीं पहुँचायेगा।
19. ठेकेदार फल–बाग में प्रायोगिक अनुसंधान संबंधी कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करेगा। बीज चयन हेतु 4–5 फलदार पेड़ों के फल बीज प्रक्रिया हेतु संरक्षित रहेंगे इसके साथ ही फल वृक्षों में गूटी चयन हेतु 20–25 प्रति पौधे पर गूटी बांधी एवं काटी जायेगी। फलदार पौधों की फसल अवधि के दौरान अनुसंधान हेतु आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक जाति के 5–5 फल छात्रों एवं विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।
20. ठेका शर्तों का उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वो ठेकेदार को मान्य करना पड़ेगा।
21. निविदा कर्ता द्वारा कार्यरत श्रमिकों /मजदूरों की जानकारी एवं उनका आधार कार्ड/परिचय पत्र/ लिखित में प्रभारी को सूचित करेंगे।
22. भाव पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर लिफाफे में बंद करके दिनांक 23/07 /2025 को दोपहर 2 बजे तक उद्यान विभाग कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के कार्यालय में जमा करने होगें एवं भाव पत्र के लिफाफे उसी दिन अधिष्ठाता द्वारा गठित समिति एवं निविदाकर्ता के समक्ष दोपहर 3 बजे खोले जायेंगे।

नोट– अन्य जानकारी के लिए प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, उद्यान विभाग, कृषि महाविद्यालय से सम्पर्क करें।

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (उद्यान विभाग)

HEAD
Department of Horticulture
College of Agriculture
Gwalior (M.P.)

Seen 21/7/2025

उद्यानिकी विभाग, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर

उद्यानिकी विभाग, शुष्क बागवानी प्रक्षेत्र सिरसौद, वर्ष 2025–26 हेतु ठेका–अनुबंध की शर्तें:–

1. फल–बाग की फल तोड़ने की अवधि टेण्डर स्वीकृति होने की दिनांक से दिनांक–30.04.2026 तक होगी।
2. बोली/टेन्डर में भाग लेने से पूर्व टेण्डर–प्रपत्र की मूल्य राशि रू. 100/– जमा कर प्रपत्र प्राप्त करें तथा इसके अतिरिक्त नीलामी/बोली/टेण्डर की जमानत राशि रू. 5000/– नगद जमा कराना होगी।
3. बोली टेण्डर में भाग लेने से पूर्व आधार कार्ड, फोटो परिचय पत्र की कॉपी जमा करनी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके।
4. नीलामी के बाद प्रथम एवं द्वितीय बोली वाले की जमानत राशि रोक कर शेष ठेकेदारों की जमानत राशि वापस कर दी जावेगी।
5. अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को होगा। साथ ही अधिकतम बोली हेतु नेगोशिएशन (बातचीत) सभी पार्टियों से अलग–अलग या एक साथ की जा सकेगी।
6. स्वीकृत टेण्डर की पूरी रकम ठेकेदार को 02 कार्य दिवस में जमा करनी होगी अथवा इस बीच कोई अवकाश आता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में जमा होगी। ऐसा न करने पर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेण्डर की राशि (प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर) पर क्रय करने का अवसर होगा।
7. टेण्डर की अधिकतम राशि समय पर जमा न होने पर निविदाकर्ता की जमानत राशि वापस नहीं की जावेगी।
8. उचित कीमत न आने पर टेण्डर/नीलामी निरस्त की जा सकती है।
9. राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद (दोपहर 02 बजे तक) बैंक के नियमानुसार जमा करनी होगी।
10. अमरूद, ऑवला, बेल, बेर एवं सहजना के बगीचे का अवलोकन कार्यालयीन समय में खरीददार स्वयं आकर कर सकते हैं।
11. अमरूद एवं अन्य फसल की तुड़ाई के समय श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
12. ठेका स्वीकृत करने/न करने का अधिकार अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर को सुरक्षित है।
13. फलबाग के फल वृक्षों की चौकीदारी, रख–रखाव की पूर्ण जबावदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
14. प्राकृतिक प्रकोप (हवा, आंधी, तूफान, रोग एवं कीट) या अन्य किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जबावदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
15. फल–बाग के अंदर ठेकेदार साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगा और गंदगी नहीं करेगा, पशुओं/असमाजिक तत्वों को नहीं आने देगा। फल–बाग के अंदर ठेकेदार अनुशासन में रहेगा अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
16. ठेकेदार फल–बाग से लकड़ी नहीं काटेगा और फल वृक्षों को हानि नहीं पहुँचायेगा।
17. ठेकेदार फल–बाग में प्रायोगिक अनुसंधान संबंधी कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करेगा। बीज चयन हेतु 4–5 फलदार पेड़ों के फल बीज प्रक्रिया हेतु संरक्षित रहेंगे इसके साथ ही फल वृक्षों में गूटी चयन हेतु 20–25 प्रति पौधे पर गूटी बांधी एवं काटी जायेगी। फलदार पौधों की फसल अवधि के दौरान अनुसंधान हेतु आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक जाति के 5–5 फल छात्रों एवं विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।
18. ठेका शर्तों का उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वो ठेकेदार को मान्य करना पड़ेगा।
19. निविदा कर्ता द्वारा कार्यरत श्रमिकों /मजदूरों की जानकारी एवं उनका आधार कार्ड/परिचय पत्र/ लिखित में प्रभारी को सूचित करेंगे।
20. भाव पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर लिफाफे में बंद करके दिनांक 23/07/2025 को दोपहर 2 बजे तक उद्यान विभाग कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के कार्यालय में जमा करने होगें एवं भाव पत्र के लिफाफे उसी दिन अधिष्ठाता द्वारा गठित समिति एवं निविदाकर्ता के समक्ष दोपहर 3 बजे खोले जायेंगे।

नोट– अन्य जानकारी के लिए प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, उद्यान विभाग, कृषि महाविद्यालय से सम्पर्क करे

4/7/25

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (उद्यान विभाग)

HEAD
Department of Horticulture
College of Agriculture
Gwalior (M.P.)